

न्यायालय तहसीलदार, डीडवाना - नागौर (राज0)
बईजलास - श्री दयानन्द रूयल आर.टी.एस.

मु0 सं0 33/2017

प्रार्थी
पटवारी हल्का
बरड़वा

V
/
S

दायर दिनांक 13.06.2017

अप्रार्थी
श्री भगवानाराम पुत्र श्री पन्नाराम
जाति मेघवाल निवासी बरड़वा

अन्तर्गत राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 04.01.2018

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बरड़वा ने दिनांक 13.06.2017 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि अप्रार्थी श्री भगवानाराम पुत्र श्री पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी बरड़वा तह. डीडवाना ने ग्राम बरड़वा के खसरा नम्बर 218 किस्म गै.मु.गौचर रकबा 6.09 बीघा में से 0.02 बिघा भूमि पर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से वेदखल करने का निवेदन किया।

पटवारी हल्का बरड़वा की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी के नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी लगातार अनुपस्थित रहा।

हमने हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भली भांति अध्ययन एवं पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि ग्राम बरड़वा के खसरा नम्बर 218 किस्म गै.मु.गौचर रकबा 6.09 बीघा में से 0.02 बिघा भूमि पर अप्रार्थी श्री भगवानाराम पुत्र श्री पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी बरड़वा तह. डीडवाना ने अतिक्रमण किया है।

अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन है। जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। अप्रार्थी को ख0न0 218 किस्म किस्म गै0मु0गौचर रकबा 6.09 बीघा में से 0.02 बिघा भूमि पर से वेदखल किया जानें आदेश दिये जाते हैं। तथा भूमि के वार्षिक लगान दर 0.75 रू0 के 50 गुणा से रूपये 38/- अक्षरे अड़तीस रूपये मात्र की शारित से दण्डित किया जाता है।

भू0अ0निरीक्षक दयालपुरा व पटवारी हल्का बरड़वा को अतिक्रमी को भौतिक रूप से वेदखली हेतु तहरीर जारी हो एवं एवं त0रा0ले0 कार्यालय हाजा को मांग कायमी हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2017 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जयसिंह मुनिश्वर रजिस्टर राजस्थान
सं. 4 के तहत 14 पर 38/-
दिनांक 19/12/18 को अतिक्रमी से
शंकर
तहसीलदार, डीडवाना
(दयानन्द रूयल)
तहसीलदार, डीडवाना